**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**

**CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL,**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 53/2025**

**IN THE MATTER OF:**

**KISHORE HASANI ………..APPLICANT**

VERSUS

**STATE OF M.P. & ORS. ..........RESPONDENT**

## INDEX


| SR. | PARTICULARS | ANNEXURE | PAGE |
|---|---|---|---|
| 1. | Report of Joint Committee in Original Application no. 53/2025 of Kishore Hasani V/s State of Madhya Pradesh & Ors. | | 2-7 |
| 2. | Photographs and Google Earth Map in Original Application no. 53/2025 of Kishore Hasani V/s State of Madhya Pradesh & Ors. | **Annexure-I** | 8-11 |
| 3. | Copy of the letter from Vidyasagar Institute of Management, Bhopal dated 01.08.2025. | **Annexure-II** | 12-21 |
| 4. | Vakalatnama | | 22 |


Date:05.08.2025 **Submitted by MPPCB: -**

Place: Bhopal **through Counsel**


**Adv. Parul Bhadoria**

**Ph. No.: (+91)-8085977111;**

**Email: parul.bhadoria04@gmail.com**

**<u>REPORT OF JOINT COMMITTEE IN ORIGINAL APPLICATION NO. 53/2025 OF KISHORE HASANI V/S STATE OF MADHYA PRADESH & ORS.</u>**

**1.** That, Hon'ble NGT issued following instructions on dated 06.05.2025 in the matter of OA 53/2025 (CZ) Kishore Hasani V/s State of Madhya Pradesh & Ors.: -

"*1. The matter was taken by this Tribunal on the basis of a news report published on the front page of Danik Bhaskar (D.B. Star) dated 11.04.2025 where it has been alleged that a private institute conducted an event in the Awadhpuri locality of new Bhopal, for which permission was purportedly granted by the Municipal Corporation. It is further alleged that senior -level official misused their authority, resulting in the illegal felling of approximately 47 fully grown green trees (with actual number potentially being higher). This act was executed to facilitated the organization of the aforementioned event. The unauthorized felling of trees constitutes a serious breach of environmental laws and has contributed to adverse ecological consequences, including increased pollution levelsa rise in AQI, elevated ambient temperatures, and decrease in atmospheric oxygen - thereby jeopardizing public health, particularly that of individuals suffering from respiratory ailments, the long-term implications of such environmental degradation could result in severe harm to public welfare. The aforementioned conduct amounts to an abuse of power by responsible public officers and falls within the purview of punishable offences under, Section 19 of NGT Act, Forest (Conservation) Act, 1980 and Madhya Pradesh Vrakshon Ka*

*Parirakshan Adhiniyam and Section 68 of the Indian Forest Act ,1927.*

______*xx*_________________*xx*___________________*xx*_____________

6. *In view of the seriousness of the matter, we constitute a Joint Committee consisting the following members to visit the site and submit the action taken report.*
   - *i. One representative from the District Collector Bhopal (M.P.)*
   - *ii. One Representative from the Divisional Forest Officer, Bhopal (M.P.)*
   - *iii. One Representative from State Pollution Control Board, (M.P.)*
7. *The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support."*

**2.** That, in compliance to the order of Hon'ble NGT dated 06.05.2025, a joint committee consisting of the following officials of the concerned department has been constituted: -

| S. No | Name of Department | Name of Committee Member |
|---|---|---|
| 1. | One representative from the District Collector Bhopal (M.P.) | Shri LK Khare, SDM, MP Nagar, Bhopal. |
| 2. | One Representative from the Divisional Forest Officer, Bhopal (M.P.) | Shri Yogesh Chouhan, SDO, Pariyavaran Vaniki, Van Mandal, Bhopal. |
| 3. | One Representative from State Pollution Control Board, (M.P.) | Shri Brajesh Sharma, Regional Officer, RO, MPPCB, Bhopal |

**3.** That, the committee reviewed the order and as per order the suo moto was taken on the news article published in the Dainik Bhaskars' "DB Star" on dated 11.04.2025 of Bhopal edition, whose copy is found enclosed with the application. As per the news article, the matter is related to illegal felling of approximately 47 fully grown green trees within private institute in the Awadhpuri locality of new Bhopal. The content of the daily News Paper is as under: -

महावीर जयंती के आयोजन के लिए निगम अफसरों ने चढ़ा दी हरे-भरे पेड़ों की बलि

# अधीक्षण यंत्री ने उद्यान शाखा से पहले छंटाई कराई, फिर जेसीबी से उखड़वा दिए 47 पेड़

**DB Star EXCLUSIVE**

डीबी स्टार • भोपाल

## आम आदमी छंटाई कराता तो प्रति पेड़ 3000 शुल्क वसूलते, बड़ा सवाल- इनसे कौन करेगा ₹1.41 लाख की वसूली?

एक ओर जहां हरियाली को संरक्षित करने के लिए सरकारी एजेंसियां बड़े-बड़े दावे करती हैं, वहीं दूसरी ओर इन्हीं एजेंसियों से जुड़े अफसर हरियाली को खत्म करने में लगे हुए हैं। ताजा उदाहरण अवधपुरी का है।

बीते दिनों यहां विद्यासागर इंस्टीट्यूट परिसर में लगे 47 पेड़ों को बेरहमी से नष्ट करवा दिया गया। यह सब खुद नगर निगम के अधीक्षण यंत्री सुबोध जैन के निर्देश पर हुआ। शुरुआत पेड़ों की छंटाई से हुई। अधीक्षण यंत्री जैन ने निगम की उद्यान शाखा को यहां महावीर जयंती कार्यक्रम की तैयारियों के नाम पर पेड़ों की छंटाई के लिए निर्देश दिए थे। जिस पर उद्यान शाखा के अमले ने आकर बिना शुल्क जमा कराए पेड़ों की छंटाई करवा दी। लेकिन बाद में जैन ने निगम की मशीनरी विंग से जेसीबी बुलवाकर सभी पेड़ों को उखड़वाकर एक कुएं में डंप करवा दिया।

उद्यान शाखा को छंटाई के लिए प्रति पेड़ 3 हजार रुपए शुल्क जमा करवाकर काम करना था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसी तरह अधीक्षण यंत्री जैन के निर्देश पर मशीनरी विंग के प्रभारी ने भी बिना सोचे समझे जेसीबी मशीन को 5 दिन काम करने के लिए भिजवा दिया। जबकि मौके पर तो जैन ने निजी इंस्टीट्यूट परिसर में काम के लिए सरकारी मशीनरी लगवाई थी। डीबी स्टार ने इस पर सबसे पहले नगर निगम के अधीक्षण यंत्री सुबोध जैन से बात की। लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं समझा। डीबी स्टार ने उन्हें बार-बार कॉल और मैसेज भी किए। लेकिन उनकी ओर से किसी भी तरह का जवाब नहीं आया। इधर, उद्यान शाखा से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि उन्हें तो अधीक्षण यंत्री जैन की ओर से निर्देश मिले थे, उसी के आधार पर अमला पेड़ों की छंटाई करने पहुंचा था।

सुबोध जैन, अधीक्षण यंत्री

निगम की मशीनरी विंग से जेसीबी मशीन क्रमांक एमपी38डी0128 विद्यासागर इंस्टीट्यूट परिसर में 4 अप्रैल को पेड़ों को उखाड़ते हुए देखी गई थी। जिसे खुद मशीनरी विंग के प्रभारी विजय गोयल ने अधीक्षण यंत्री जैन की डिमांड पर भेजा था। डीबी स्टार ने गोयल से भी बात की। उनका कहना था कि अधीक्षण यंत्री के निर्देश थे, इसलिए मशीन भेजी थी। अकेले उनकी टीम ही नहीं वहां तो निगम की अन्य शाखाओं की टीमों को भी लगाया गया था। लेकिन वहां उनसे निजी काम कराया जा रहा था या सरकारी, इसका जवाब गोयल के पास नहीं था। वे तो पेड़ों की कटाई से पूरी तरह अनजान थे।

### 9 अप्रैल को जैसे-तैसे नोटिस चस्पा कर पाए निगमकर्मी

डीबी स्टार ने निगम की उद्यान शाखा के अधिकारियों से भी बात की। उनका कहना था कि उद्यान की टीम से तो केवल पेड़ों की छंटाई ही कराई गई थी। लेकिन बाद में पेड़ों को किसने नष्ट करवा दिया, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। हालांकि उद्यान शाखा की ओर से विद्यासागर इंस्टीट्यूट प्रबंधन के नाम नोटिस जारी किया गया है। 4 अप्रैल को जारी नोटिस में दो दिन में जवाब मांगा गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उद्यान का अमला प्रबंधन को नोटिस ही नहीं दे पाया था। जैसे-तैसे 9 अप्रैल को स्कूल परिसर में नोटिस को चस्पा कराया गया है। इधर, विद्यासागर इंस्टीट्यूट प्रबंधन से संपर्क किया गया। उनका कहना था कि उनके द्वारा परिसर में पेड़ की केवल छंटाई कराई गई थी। उसी के अवशेष जेसीबी से उठवाए गए थे। यहां कोई पेड़ नहीं कटा है।

### हमने अधीक्षण यंत्री के आदेश का पालन किया

3 अप्रैल को अधीक्षण यंत्री सुबोध जैन सर के आदेश पर महावीर जयंती के पूर्व तैयारियों के लिए छंटाई कार्य कराया था। उद्यान विभाग द्वारा कोई पेड़ नहीं काटा गया। 4 अप्रैल को जानकारी मिली कि विद्या सागर इंस्टीट्यूट के प्रांगण में पेड़ों को उखाड़ा जा रहा है। जिस पर तत्काल सहायक आयुक्त मैडम के साथ स्थल का निरीक्षण किया। यहां 47 छोटे-बड़े पेड़ जेसीबी से उखाड़े हुए पाए गए। संबंधितों को नोटिस जारी किया गया है। जुर्माने की कार्रवाई उच्च अधिकारी करेंगे।

**-ममता ब्राह्मे, प्रभारी सहायक अधीक्षक, उद्यान शाखा**

### कमिश्नर बोले- नोटिस चस्पा करवा दिया है, नियमानुसार जुर्माना लगाएंगे

विद्यासागर इंस्टीट्यूट परिसर में पेड़ों की कटाई के संबंध में जानकारी मिली थी। इस मामले में संचालक को नोटिस जारी किया था। नोटिस लेने से मना करने पर नोटिस चस्पा करा दिया गया है। जवाब देने के लिए उन्हें एक हफ्ते का समय दिया है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

**-हरेन्द्र नारायण, कमिश्नर, नगर निगम**

## 4. FIELD OBSERVATIONS:

Joint committee conducted a visit of the institute “Vidyasagar Institute of Management” situated in Awadhpuri, Tehsil-Huzur, District-Bhopal on dated 30.07.2025. During site visit, Ms. Prakamya Tiwari, AE, RO, MPPCB, Bhopal, Mr. Shivam Dwivedi, Advocate, RO, MPPCB, Bhopal, Mr. K S Ahirwar, Forest Guard, Bhopal and were also present during inspection. The representatives of the institute Mr. Shivam Pandey, Professor, Vidyasagar Institute of Management, Bhopal and Mr. Jay Ram Kushwaha, Peon, Vidyasagar Institute of Management, Bhopal were also present during the inspection. The petitioner’s contact number was obtained from the letter enclosed with the petition. The petitioner Mr. Kishore Hasani was contacted on the given mobile number and he informed that he was out of the city. The Photographs and Google Maps are enclosed as **Annexure-I.** The Geographical locations, photographs and visual observations were recorded during inspection and the observations are as under:

4.1. The institute “Vidyasagar Institute of Management” is located at Awadhpuri, Tehsil-Huzur, District-Bhopal. The geographical location of the site is latitude 23°13'23.25"Nand longitude 77°29'19.25"E.

4.2. The BDA Road is passing from the south side of the institute. The gate of Vidyasagar Institute of Management is on the north west side of the site.

4.3. The institute is spread over a total of 20 acres’ area of land and surrounded by wall all around. Inside the premises one administrative-cum-educational building is constructed which covers approx. 10 % of the total area.

4.4. There were ornamental plants and full-grown trees exists around and within the campus of the institute.

4.5. The joint committee visited the area within the premises of institute where tree cutting is reported in the petition along with the representatives of the institute. The area of this portion of land is approx. 3.0 Acres.

4.6. This area is located on south side of the institute and no construction activity is observed in this area.

4.7. It is observed that the area is being used for plantation of samplings. The representatives of the institute informed that this land will be used for plantation.

4.8. Committee asked the institute representative to submit the details about tree cutting and plan of plantation.

## 5. INFORMATION SUBMITTED BY VIDYASAGAR INSTITUTE OF MANAGEMENT, BHOPAL:

Institute has provided the information vide letter dated 01.08.2025. The copy of the letter is enclosed as **Annexure-II.** The main points of the letter are as under: -

5.1. A permission was obtained from Bhopal Municipal Corporation (BMC) for the pruning of the trees and small bushes in the premises. An amount of Rs. 2,35,5000/- was imposed by BMC for cutting of 47 trees by the institute which was deposited by the institute.

5.2. The plantation of approx. 400 trees has been done by the institute.

In light of above points, the committee is of the opinion that the institute shall protect the existing green area and develop green belt in and around the premises of institute for overall improvement of prevailing environmental conditions.

| | | |
|---|---|---|
| **LK Khare**<br>SDM MP Nagar,<br>Bhopal | **Brajesh Sharma**<br>Regional Officer,<br>RO, MPPCB, Bhopal | **Yogesh Chauhan**<br>SDO, Paravaran Vanki,<br>Van Mandal, Bhopal |

**Inspection Photographs**

**in OA 53/2025 dated 30.07.2025**

NoteCam @ iOS
Latitude: 23.223141
Longitude: 77.488680
Elevation: 483.87±9.43 m
Accuracy: 4.75 m
Time: 30-07-2025 16:07:00

VIDYASAGAR INSTITUTE OF MANAGEM
NoteCam @ iOS
Latitude: 23.224187
Longitude: 77.488876
Elevation: 486.97±3.00 m
Accuracy: 4.74 m
Time: 30-07-2025 15:48:02

NoteCam @ iOS
Latitude: 23.2241125
Longitude: 77.488906
Elevation: 487.17±3.00 m
Accuracy: 5.25 m
Time: 30-07-2025 16:36:42

NoteCam @ iOS
Latitude: 23.224129
Longitude: 77.488908
Elevation: 487.30±3.00 m
Accuracy: 3.49 m
Time: 30-07-2025 16:36:46

NoteCam @ iOS
Latitude: 23.223472
Longitude: 77.488333
Elevation: 482.50±3.64 m
Accuracy: 8.55 m
Time: 30-07-2025 16:05:35

NoteCam @ iOS
Latitude: 23.223404
Longitude: 77.488316
Elevation: 483.75±3.00 m
Accuracy: 4.75 m
Time: 30-07-2025 16:05:03

**Google Earth Map of the site in OA 53/2025**

**VIDYASAGAR INSTITUTE OF MANAGEMENT**
Near Awadhpuri, BHEL, Bhopal (M.P.) – 462 022 (INDIA)
Contact: - 0755 – 2621718, 4931233 Email: - vimbhopal97@gmail.com

प्रति, दिनांक - 01/08/2025

क्षेत्रीय अधिकारी

पर्यावरण विभाग मध्य प्रदेश भोपाल

विषय :- आपके द्वारा चाही गई जानकारी बाबत।

महोदय,

आचार्य विद्यासागर प्रबंधन संस्थान वर्ष 1997 से संचालित होकर जिसमे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है।

संस्थान परिसर से लगा हुआ जैन मंदिर स्थित है माह अप्रैल 2025 में ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय संस्थान परिसर में पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के आगमन पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजन हेतु नगर निगम भोपाल से सफाई व्यवस्था हेतु निवेदन किया गया था।

सफाई करते समय समुचित निर्देशों के अभाव में कर्मचारियों द्वारा कुछ बबुल की छोटी-छोटी झाड़ियां उखाड़ दी थी। इस संबंध में स्थानीय लोगों के दबाव में नगर निगम द्वारा संस्था का पक्ष सुने बिना 2,35000/- का वृक्ष कटाई का जुर्माना अधिरोपित किया गया था।

चूंकि कार्यक्रम नजदीक था ऐसी स्थिति में संस्था द्वारा जुर्माने की राशि नगर निगम भोपाल में दिनांक 24.04.2025 को जमा की गई थी यह की संस्था सदैव पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर संस्था परिसर में कई वृक्ष लगे हुए हैं संस्था द्वारा माह जून - जुलाई 2025 में लगभग 400 फलदार वृक्षों का रोपण किया गया है तथा आगामी समय में संस्था और भी वृक्षारोपण करना चाहती है।

निवेदन है कि संस्था के उत्तर को स्वीकृत कर प्रकरण समाप्त करने की कृपा करें।

संलग्नः-

1. नगर निगम में धनराशि जमा करने संबंधी पत्र

2. वृक्षारोपण हेतु राम आस्था मिशन का पत्र

प्रचालक
Director
Vidyasagar Institute of Management
Near, Awadhpuri, BHEL,
Bhopal (M.P.)-462022

**VIDYASAGAR INSTITUTE OF MANAGEMENT**
Near Awadhpuri, BHEL, Bhopal (M.P.) – 462 022 (INDIA)
Contact: - 0755 – 2621718, 4931233 Email: - vimbhopal97@gmail.com

दिनांक : 24.03.2025

प्रति,

श्री मान् जोनल अधिकारी महोदय,

नगर निगम, भोपाल (म.प्र.)

**विषयः– परिसर की सफाई करवाने के संबंध में बाबत।**

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि संस्थान परिसर में महावीर जयंती एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के आगमन पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बडी संख्या में स्थानीय एवं बाहर से धर्मावलंबी सम्मिलित होंगें।

अनुरोध है कि संस्थान परिसर में सफाई व्यवस्था एवं छोटी–छोटी झाडियाँ कटवाने की कृपा करें।

भवदीय,

संचालक Director
Vidyasagar Institute of Management
Near, Awadhpuri, BHEL,
Bhopal (M.P.) 462022

नगर निगम भोपाल

VIDYASAGAR INSTITUTE OF MANAGEMENT
Near Awadhpuri, BHEL, Bhopal (M.P.) – 462 022 (INDIA)
Contact: - 0755 – 2621718, 4931233 Email: - vimbhopal97@gmail.com

प्रति,

श्रीमान् सहायक आयुक्त (उद्यान)
नगर निगम, भोपाल

**विषय :– वृक्षो की अवैध कटाई किये जाने के संबंध में।**
**संदर्भ :– आपका पत्र कमांक 1018/3 वि./2025 दिनांक 04.04.2025**

महोदय,

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे। उक्त पत्र दिनांक 11.04.2025 को प्राप्त हुआ। पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि विद्यासागर स्कूल परिसर में बिना अनुमति प्राप्त किये वृक्षों को जे.सी.बी. से उखाड कर नष्ट किया गया है।

निवेदन है कि संस्था परिसर में जैन मंदिर स्थित है उक्त परिसर में महावीर जयंती एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के आगमन पर धार्मिक कार्यकम आयोजित किया जाना था।

उक्त कार्यकम को दृष्टिगत रखते हुए संस्था द्वारा नगर निगम भोपाल से इस कार्यालय के पत्र दिनांक 24.03.2025 द्वारा संस्थान परिसर में सफाई व्यवस्था एवं छोटी–छोटी झाडियों कटवाने हेतु निवेदन किया गया था।

वृहद आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए साफ – सफाई एवं झाडियॉं कटवाने के दौरान स्पष्ट निर्देशों के अभाव में मजदूरों /ड्राइवर द्वारा बबूल की दो–तीन बडी झाडियॉं उखाड दी गई। संस्था द्वारा परिसर में स्थित किसी प्रकार का कोई वृक्ष नष्ट नही किया गया है। न ही किसी प्रकार का कोई वृक्ष कटवाया गया है।

जैन समाज पूर्ण रूप से पर्यावरण संरक्षण जीवदया के सिद्धांतों पर चलने वाला समाज है। जैन दर्शन के अनुसार वृक्षों को नष्ट करना पाप की श्रेणी में आता है।

यहॉं पर उल्लेखनीय है कि संस्था परिसर हरे भरे वृक्षों से अच्छादित है संस्था द्वारा परिसर में पूर्व से कई वृक्ष लगाये गये है। तथा इस वर्ष भी लगभग 500 फलदार एवं नीम–पीपल आदि वृक्ष वर्षाऋतु में लगाये जायेंगे।

निवेदन है कि संस्था द्वारा किसी प्रकार का कोई वृक्ष नष्ट नही किया गया है। अस्तु ऐसी स्थिति में दिया गया सूचना पत्र निरस्त करने की कृपा करें।

सादर

भवदीय

Director
Vidyasagar Institute of Management
Near Awadhpuri, BHEL,
Bhopal (M.P.)-462022
संचालक

15

# कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल
## उद्यान–विभाग

क्रमांक 172/उ.वि./2025 भोपाल दिनांक 16/04/2025

प्रति,

संचालक,
विधासागर पब्लिक स्कूल/इन्स्टीट्यूट
अवधपुरी भोपाल।

विषय :– **बिना अनुमति वृक्षों की कटाई किये जाने के संबंध में।**

उपरोक्त विषय मे लेख है कि विभाग द्वारा दिनांक 04.04.2025 को निरीक्षण मे पाया गया कि आपके विधासागर पब्लिक स्कूल/इन्स्टीट्यूट परिसर मे 47 वृक्षों को जड से उखाडकर नष्ट किये गये थे जिसके उपरांत विभाग द्वारा पत्र क 1018 दिनांक 04.04.2025 को स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी किया गया था जिसका प्रतिउत्तर आज दिनांक तक आप्राप्त है। उक्त कृत्य म.प्र. वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम 2001–2002 की धारा 03 के अनुसार वन अपराध कि श्रेणी मे आता है। **अधिनियम की धारा में यह वर्णित है की कोई भी व्यक्ति तत्समय प्रवृत्त किसी रूढि,प्रथा,संविदा या स्थानीय विधि के होते हुए भी उस नगरीय क्षेत्र के भीतर स्थित किसी भूमि में, चाहे वह उसके स्वामित्व में की हो या उससे भिन्न प्रकार की हो, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बिना अनुज्ञा के किसी भी वृक्ष को काटकर नहीं गिराएगा या वृक्ष को कटवाकर नहीं गिरवाएगा।**

म.प्र. वृक्षा का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम 2001 की धारा 18 मे वर्णित प्रावधान अनुसार बिना अनुमति अथवा आदेश के उल्लघंन मे वृक्ष को गिरवाने/कटवाने पर जुर्माने एवं कारावास का प्रावधान है

आपके द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये 47 वृक्षों काटने से अपराध कारित किया गया है अत: अपराध कारित होने से जुर्माना राशि 5000/– प्रति वृक्ष की दर से 47 वृक्षो की कुल राशि **2,35,000/–** का ड्राफ्ट आयुक्त नगर निगम भोपाल के नाम से कमला पार्क उधान विभाग कार्यालय मे 03 दिवस के भीतर जमा करें अन्यथा आपके विरूद्ध न्यायालय मे चालान प्रस्तुत किया जावेगा एवं म.प्र. वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम 2001 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(आयुक्त महोदय द्वारा आदेशित)

अपर आयुक्त (उद्यान)
नगर निगम भोपाल

पृष्ठा. क्र. / उ.वि. /2025 भोपाल दिनांक / 2025

प्रतिलिपि

01. आयुक्त नगर निगम भोपाल की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।

अपर आयुक्त (उद्यान)
नगर निगम भोपाल

# आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान, भोपाल

## वल्लभ नगर, भोपाल

राजेश जैन
अध्यक्ष

22, गोल्डन सिटी
होशंगाबाद रोड, जाटखेड़ी
भोपाल, म.प्र.
(मो) 98270 40746
दिनांक 24 अप्रैल, 2025

प्रति,

अपर आयुक्त (उद्यान)
कमला पार्क, उद्यान विभाग,
नगर निगम, भोपाल

विषय - बिना अनुमति वृक्षों की कटाई किए जाने के संबंध में।

संदर्भ – आपका पत्र क्रमांक 132/उ.वि./2025 दिनांक 16 अप्रैल, 2025.

--00--

महोदय,

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा रुपए 2,35,000/- बैंकर्स चैक के माध्यम से जमा कराए जाने के लिए निर्देशित किया गया है ।

इसके पालन में राशि रुपए 2,35,000/- (रुपए दो लाख पेंतीस हजार) भारतीय स्टेट बैंक, पंचानन शाखा, टी.टी. नगर, भोपाल की शाखा से जारी बैंकर्स चैक क्रमांक 918352 दिनांक अप्रैल,2025 संलग्न कर प्रेषित है ।

कृपया पावती उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

सादर

भवदीय

(राजेश जैन)
अध्यक्ष

(RAJESH JAIN
Chairman
Acharya Vidyasagar Prabandh V

संलग्न - उपरोक्तानुसार

उद्यान विभाग नगर निगम भोपाल
आवक क्र.
दि. 24.04.25

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
ANCHANAN BHAWAN BRANCH BHOPAL
.005

A/C Payee

बैंकर्स चैक
BANKERS CHEQUE

Key. SIGMAS
Sr. No. 185604

2 4 0 4 2 0 2 5
D D M M Y Y Y Y

COMMISSIONER NAGAR NIGAM BHOPAL********************************

को या उनके आदेश पर
OR ORDER

PEES Two Lakh Thirty Five Thousand Only

अदा करें ₹ 235000.00

कृते भारतीय स्टेट बैंक
For STATE BANK OF INDIA

Key: SIGMAS Sr. No. 185604 AMOUNT BELOW 235001(0/6)
cant AACHARYA VIDHYASAGAR SANSTHAN

अहस्तांतरणीय / NOT TRANSFERABLE

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY
N-5013

शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER
S.S ND
15-9315

₹ 1,50,000/- एवं अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

...टेड पर ही वैध
...UTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

⑈983570⑈ 000002000⑆ 000553⑈ 16

**RAM ASTHA MISSION FOUNDATION**
(Section 8 Non-profit Organization)
CIN: U80900MP2021NPL055408 URN: AAKCR8831P TAN: BPLR09766B
UAN: AAKCR8831PE20231 PAN: AAKCR8831PF20241 SRN: T08228330

RAM ASTHA MISSION
FOUNDATION

निष्ठा धृतिः सत्यम्
Dedication, Steadfastness and Truth

पत्र क्रमांक :2025/ 07/07-01
दिनांक : 07/07/2025

श्री राकेश तिवारी जी
संचालक
विद्यासागर इन्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
अवधपुरी ,भोपाल (म.प्र.)

**सूचनार्थ – 340 पेड़ों से तैयर किए गई महावीर वन के निर्माण हेतु प्रस्त्री व आभार पत्र**

विगत पाँच जून को किए गए अवलोकन के पश्चात महावीर वन का निर्माण आपके संस्थान में किया गया। इस वन के निर्माण में पूर्ण रूप से जैविक खाद तथा विभिन्न प्रकार के खादों का उपयोग किया गया है। जीवामृत आपके संस्थान में तैयार कर इस महावीर वन को राम वन तकनीक से तैयार करने में हमें खुशी हुई। इस वन को तैयार करने के लिए सहायता राशि के रूप में संस्थान से 35,000 रुपये प्राप्त हुए।

जिसके माध्यम से पूरे कार्य–जैसे मिट्टी की तैयारी, गड्ढों की खुदाई, खाद डालना, वृक्षारोपण आदि–को संपन्न किया गया।

राम आस्था मिशन आपके इस नेक कार्य में किए गए सहयोग के लिए आपका धन्यवाद देता है। आगामी दिनों में लगभग 530 पेड़ों से इस वन को और मजबूती से तैयार करने का आपका जो संकल्प है, उस पर भी हम कार्य कर रहे हैं। वर्षा तेज होने के कारण आगामी बीस दिनों तक कार्य नहीं किया जा सकता।

आपके संस्थान में संपूर्ण बाउंड्री वॉल के किनारे जो सघन वन तैयार होना है, उस दिशा में जल्द कार्य प्रारंभ करने की आशा है।

हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी हमें आपके संस्थान से इसी प्रकार पूर्ण सहयोग प्राप्त होता रहेगा

Ramesh Pratap

राम आस्था मिशन
(संचालक) रमेश प्रताप सिंह
(आई एफ एस 1985 रिटायर्ड)

**VAKALATNAMA**

[Rule 4(1) of the Rules framed under Advocates Act, 1961]

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**

**ORIGINAL APPLICATION 53/2025**

**CENTRA ZONAL BENCH**

# IN THE MATTER OF:

**KISHORE HASANI ……...APPLICANT**

VERSUS

**STATE OF M.P. & ORS. ..........RESPONDENT**

I **Brajesh Sharma , Regional Officer Bhopal , MPPCB** named below do hereby appoint, engage, and authorize advocate(s) named below to appear, act and plead as aforesaid case proceedings which shall include application for restoration, setting aside of ex- party orders, corrections, modifications, review and recall of orders passed in these proceedings, in this court or any other court in which the same may be tried/ heard/proceeded and also in appellate. Revisional and executing court in respect of proceedings arising from this case/ proceedings as per agreed terms and conditions and authorize him/them to sign and file pleadings, appeals, cross objections, applications, affidavit or other documents as may be deemed necessary for the proper prosecution/defence of the case in all its stages and also agree to ratify and confirm act done by him/them as if done by me.

In witness whereof i/we do hereunto set my/our hand to the presents, the contents of which have been duly understood by me /us this **05.08.2025 at Bhopal.**

PARTICULARS OF EACH PARTY EXECUTING VAKALATNAMA

| Name & Fathers Name | Registered Address | E-Mail Add & Telephone | Status in case | Signature |
|---|---|---|---|---|
| **Brajesh Sharma , Regional Officer Bhopal , MPPCB** | E5, Arera Colony Paryawaran Parisar Regional Office MPPCB Bhopal - 462016 | 9893002888 romppcb_bpl@rediff.com | Officer-in-Charge | |

Accepted

Regional Officer
M.P. Pollution Control Board
BHOPAL

| Name & Enrollment. No. | Office Address | E-Mail Add. | Telephone | Full Signature |
|---|---|---|---|---|
| PARUL BHADORIA 1587-2012 | Paryavaran Parisar, E-5 Arera Colony, Bhopal, 462016 | parul.bhadoria04@gmail.com legalcell.pcb@mp.gov.in | 8085977111 | |
| MOHIT BUCH 1305/2017 | | legalcell.pcb@mp.gov.in | 9685034578 | |
| PRANJAL PANDEY MP 2881-2021 | | advocatepranjalpandey@gmail.com | 9340657120 | |
| SHIVAM DWIVEDI MP 3857-2023 | | advshivamdwivedi20@gmail.com | 8878471359 | |

**Email** PROOF OF SERVICE **Legal Cell**

**Copy of JCR submitted in compliance of order dated 06.05.2025 passed in OA 53-2025 Kishore Hasani V/s State of Madhya Pradesh**

**From :** Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in> Tue, Aug 05, 2025 04:50 PM

**Subject :** Copy of JCR submitted in compliance of order dated 06.05.2025 passed in OA 53-2025 Kishore Hasani V/s State of Madhya Pradesh 1 attachment

**To :** Collector Bhopal <dmbhopal@nic.in>, commoffice <commoffice@bmconline.gov.in>, forest <forest@mponline.gov.in>

**Cc :** harnengt <harnengt@gmail.com>, parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>

Madam/Sir

Please find enclosed the copy of joint committee report dated 05.08.2025 submitted in compliance of order passed by Hon'ble Tribunal in the **OA 53-2025 Kishore Hasani V/s State of Madhya Pradesh** &Ors. This mail be treated as proof of service.

Regards

Legal Section

MP PCB

---

**Report in OA 53-2025 dated 05.08.2025.pdf**
7 MB